विचार बिन्दु

चरित्र के बिना ज्ञान बुराई की ताकत बन जाता है। जैसे कि दुनिया के कितने ही चालाक चोरों और भले मानुष बदमाशों के उदाहरण से स्पष्ट है।

–महात्मा गाँधी

संविधान निर्देश देता है, सभी राज्य क्षेत्रों में समान नागरिक संहिता लागू हो, फिर विरोध क्यों?

भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इसमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और अनुच्छेद 37 के अनुसार विधि बनाने में इन तत्वों को (अर्थात् राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को) लागू करना राज्य का कर्त्तव्य है। भारत के संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार दिये हैं जिन्हें हम राजनैतिक अधिकार कहते हैं, प्रत्येक नागरिक को पैदा होते ही ये मूल अधिकार प्राप्त होते हैं और भाग 4 में सामाजिक व आर्थिक न्याय देने हेतु राज्य के कर्त्तव्य के रूप में अधिकथित तत्व हैं। संविधान के प्रियम्बल में हम लोगों ने ही प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय देने की घोषणा की है। भारतीय संविधान के भाग 3 व 4 की समीक्षा करें तो पायेंगे कि नागरिकों के मूल अधिकार व राज्य के मूल कर्त्तव्य मानव अधिकार ही हैं जो Domestic न्यायालय में प्रवर्तनीय माने गये हैं। संविधान का प्रत्येक भाग विधान निर्मात्री सभा में पूर्ण विचार व चर्चा (बहस) के बाद अंगीकार किया गया है, अतः इस पर अब चर्चा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। डा. अम्बेडकर के शब्दों में ये निदेशक तत्व केवल पूज्यनीय घोषणायें नहीं हैं अपितु अनुदेशों के दस्तावेज के रूप में है। ये तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये आवश्यक हैं और शासन के मूलाधार हैं।

सन 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो और श्रीमती जोर्डेन डेंग देह के केसेज में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की है, इसके 10 वर्ष बाद सरला मुद्गल के केस में समान नागरिक संहिता लागू करने पर जोर दिया है। यह भी स्पष्ट किया है कि सभ्य समाज में धर्म व वैयक्तिक कानून में कोई संबंध नहीं है। बहु विवाह लोक नीति के विरूद्ध है और इस बुराई को कुप्रथा के रूप में जैसे सती व मानव बलि जैसे प्रथायें मानी जावें। जहां ये कस्टम्बरी हैं वहां कोई मार्ग ढूंढा जा सकता है। न्यायालय ने दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को नकारा है, देश एक है सभी के हेतु समान नागरिक संहिता होनी चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः 2003 में जॉन वेल भट्टन के केस में इसे पुनः दोहराया है और स्पष्ट किया है कि शादी, उत्तराधिकार के मामले धर्म निरपेक्ष हैं। डा.अम्बेडकर के अनुसार 1935 से पूर्व भारत के भाग में उत्तराधिकार के मामले शरीयत से नहीं अपितु हिन्दू सक्सेशन लॉ से गवर्न होते थे। अतः आजादी के बाद व संविधान के लागू होने के बाद यह प्रश्न उठाना सर्वथा गलत है। इसे न मानने का अर्थ है संविधान को दुबारा लिखना। ट्रिपल तलाक समाप्त हो चुका है।

समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु कई राज्यों ने घोषणायें की है। गोवा में बहुत पहले से समान नागरिक संहिता लागू है। सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपना निर्णय दिया है जैसा उपरोक्त केसों से स्पष्ट है। समय-समय पर लॉ कमीशन भी इस विचार धारा से सहमति अभिव्यक्त कर चुका है।

केन्द्र सरकार को अथवा राज्य सरकार सभी ने संविधान के अनुच्छेद 37 की सही व्याख्या को समझने का प्रयास ही नहीं किया। अनुच्छेद 37 में कहा गया है भाग 4 में अन्तर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, किन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं हो सकता कि राज्य अपने कर्त्तव्य की पालना ही नहीं करे।

नेशनल ह्यूमन राईट कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस अरूण मिश्रा ने अपने सम्बोधन में जो उन्होंने नेशनल ह्यूमन राईट कमीशन द्वारा आयोजित मानव अधिकार दिवस पर स्पष्ट शब्दों में संविधान के अनुच्छेद 44 की व्याख्या करते हुये कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। विकास में उनकी भागीदारी हो और उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं तथा यूनाइटेड नेशन्स रेजिडेन्ट कोरडिनेटर फोर इण्डिया शोम्बी शार्प ने यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल एटीनिओ गुटरेस का संदेश पढ़कर सुनाया। जस्टिस मिश्रा ने अपने सम्बोधन में कहा कि देश में महिलाओं के सशक्तिकरण, विकास व शिक्षा की आवश्यकता है। महिलाओं के साथ Discrimination भेदभाव और जेन्डर वोइलेन्स समाप्त होना चाहिये।

जस्टिस मिश्रा ने मानव अधिकार दिवस के जश्न पर बोलते हुये कहा यदि हम महिलाओं को गरिमामय जीने का अधिकार और पुरूषों जैसे समान अधिकार नहीं दे सकते तो यह जश्न मनाना ही बेकार है। जस्टिस मिश्रा ने पुरजोर शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें सही राह दिखाई है और समय आ चुका है जब हमें समान नागरिक संहिता लागू करना ही चाहिये। अनुच्छेद 44 स्पष्ट निर्देश देता है कि समान नागरिक संहिता Dead Letter नहीं रहना चाहिये।

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यूनाइटेड नेशन्स ने इस वर्ष के लिये नारा दिया है, Dignity, Freedom and Justice सभी के लिये। उन्होंने ऋग्वेद के एक श्लोक का उल्लेख कर हिन्दी में उसका अनुवाद करते हुये कहा है "मानव के उत्थान व विकास के लिये सभी को एक सूत्र में बांध कर चलें"। हिन्दू दर्शन में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, "बहुजन सुखाय बहुजन हिताय" अर्थात् जनता की भलाई इसमें निहीत है कि सभी लोग खुशहाली में रहें।

केन्द्र सरकार को अथवा राज्य सरकार सभी ने संविधान के अनुच्छेद 37 की सही व्याख्या को समझने का प्रयास ही नहीं किया। अनुच्छेद 37 में कहा गया है भाग 4 में अन्तर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, किन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं हो सकता कि राज्य अपने कर्त्तव्य की पालना ही नहीं करे। संवैधानिक दायित्व का निर्वाह न करना भी संविधान का कन्टेम्पट (अवमानना) है।

अतः स्थिति स्पष्ट है तथा मान्य तरीका भी यही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उपरोक्त वर्णित निर्णयों को ध्यान में रखते हुये समान नागरिक संहिता लागू करने पर राज्य उचित कदत उठाये। उचित तो यह होगा कि शादी आदि व्यक्तिगत कानून के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों, विद्वानों, लॉ कमीशन जूरिस्टों की कमेटी बनाई जावे, और कमेटी समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का सुझाव दें। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट गजेन्द्र गडकर ने विधि आयोग के अध्यक्ष रूप में अपने विचार इस प्रकार अभिव्यक्त किये थे, "अनुच्छेद 44 को लागू न करना भारतीय डेमोक्रेसी की असफलता है, हम जितनी जल्दी प्रयास करें वही अच्छा होगा। जस्टिस डेगडे ने कहा था कि धर्म के आधार पर पर्सनल लॉ मध्यकाल की बात है। जस्टिस छागला का विचार था कि अनुच्छेद 44 बाध्यकारी है और इसे लागू करना राज्य का दायित्व है। वस्तुतः नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों के पूरक हैं वे प्रवर्तनीय हैं। समय की पुकार है नागरिक संहिता लागू हो। शादी की विधि प्रत्येक धर्मों की अलग अलग हो सकती है। संविधान का अनुच्छेद 44 विधान निर्मात्री सभा ने पूरी बहस व चर्चा के बाद पारित किया है इसे लागू करना राज्य का कर्त्तव्य है। इसे लागू न करने की बहस, संविधान के मूल ढांचे के सिद्धान्त के विरूद्ध है, इस पर पुनः बहस अथवा चर्चा या विरोध अमान्य है। संविधान निर्मात्री सभा में अनुच्छेद 44 के बाबत विरोध हुआ, और उसका उत्तर के.एम. मुंशी ने किया तथा डा. अम्बेडकर ने समर्थन किया। समान नागरिक संहिता देश के सभी राज्यों क्षेत्रों में सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो।

–अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

सरकार क्या होती है और हमें सरकार क्यों चाहिए

कई बार जब हमारा कोई काम सरकार के तंत्र में अटक जाता है तो हम झुंझलाहट में कह उठते हैं कि हमें सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। जरा- सा भी सोचने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि चाहे इसमें कितनी ही कमियां हों परंतु सरकार के बिना मनुष्य के रूप में जीवन जीना असंभव है क्योंकि ऐसा होने पर लोग एक दूसरे को तुरंत प्रभाव से नष्ट कर देंगे। उदाहरण के तौर पर पुलिस गुंडों और असामाजिक तत्वों पर तो कुछ हद तक नियंत्रण रखती ही है पर उससे भी बड़ा काम परोक्ष में अपने आप होता है।

■ **सरकार और नागरिक स्वतंत्रता का संतुलन ही एक बेहतरीन प्रशासन दे सकता है**

सदियों पहले ग्रीक दार्शनिक अरस्तू (एरिस्टोटल) ने एक बात कही थी कि शासन जीवन को बचाने के लिए अस्तित्व में आया है। सरकार एक तरह का सामाजिक समझौता है जिसमें राजनीति नागरिकों की भलाई के लिए की जानी चाहिए जिसके कारण राष्ट्र में शांति, संपन्नता और व्यवस्था बनीं रहे। पर क्या ऐसा सदैव होता रहा है? रूस में स्टालिन के शासनकाल में लाखों लोगों को गुलाग नामक यातना शिविरों में बंद कर दिया ताकि उन्हें सुधारा जा सके। चीन में माओ और उसकी चार की गैंग ने तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति के दौर में करोड़ों जीवन तबाह किए।

अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सफेद झूठ बोलकर इराक में ऐसी तबाही मचाई कि लाखों लोगों के मरने के बाद भी वहां शांति लौटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आज कितने ही देशों की सरकारें अपने नागरिकों को तो न्याय दिला नहीं पा रही हैं परंतु दूसरे देशों में युद्ध और आतंक फैलाने में करदाता के धन को बर्बाद करती नजर आ रही हैं। सदियों पहले रोमन दार्शनिक मार्कस तुल्लिस सिक्रो ने कहा था; न्याय विमुख सरकार रास्ते के लुटेरों के झुंड से अलग नहीं है।

इटालियन दार्शनिक मैकियावेली के अनुसार; राज्य सर्वोच्च स्तर का संगठन होता है जिसको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आदमी जाति स्वार्थी, धोखेबाज और अहंकारी होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार और प्रशासन का होना अनिवार्य है, इस बात का कोई विकल्प नहीं है। जो शासन अनिवार्य है उसकी कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए क्योंकि उसके विभिन्न पदों पर बैठने वाले लोग तो वो ही हैं जिनका बखान मैकियावेली ने किया है।

सरकार और नागरिक स्वतंत्रता का संतुलन ही एक बेहतरीन प्रशासन दे सकता है। सरकार अपने अधिकारों का दावा करे यह तो ठीक है पर उसे यह भी देखना चाहिए कि सही क्या है क्योंकि सरकार ही एक नागरिक की संरक्षक होती है इसलिए यह जरूरी है कि सरकारी तंत्र सब को उपलब्ध हो

डॉ. रामावतार शर्मा

और उसकी जवाबदेही हो। तंत्र पारदर्शी हो तथा सबको साथ लेकर चलने वाला हो। मुद्दों पर आधारित आलोचना को न तो दरकिनार करना चाहिए और ना ही प्रताड़ित। शासन का अधिकार इस हद तक भी नहीं हो जहां वह जायज आलोचकों को प्रताड़ित कर सके।

17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश फिजिशियन एवम् दार्शनिक जॉन लॉक ने सत्ता के अधिकार को सीमित करने तथा नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के बारे में आधुनिक विश्व का पहला दर्शन सामने रखा। अमरीका का संविधान डॉक्टर लॉक के सिद्धांतों से ही प्रेरित है। उनके अनुसार व्यक्ति का विस्तार ही राष्ट्र होता है इसलिए व्यक्ति के विकास और स्वतंत्रता के बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता।

आज विश्व के बहुत से देशों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कोई ना कोई खोखला व झूठा कारण बना कर छीना जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग चारों तरफ नजर आ रहा है। न्यायालयों की महत्ता और गरिमा को योजना के तहत नष्ट किया जा रहा है। सरकारें व्यक्ति की हर गतिविधि को नियंत्रित करने में प्रयासरत हैं। क्या पढ़ना है, क्या खाना पीना है, पहनना ओढ़ना है, लिखना और छपवाना है आदि सब पर किसी ना किसी तरह का अंकुश लगाने का प्रयास जारी है। यदि प्रशासनिक तरीके से बात नहीं बने तो सोशल मीडिया की ट्रोल सेना तो है ही।

गौर से देखें तो राष्ट्र एक नागरिक से टैक्स लेता है जिसके बदले में वह उसे रहने और कमाने के स्थान पर सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन देता है। राष्ट्र एक वृहद सुरक्षा चक्र है जिसको उपयोग में लेने के लिए नागरिक को अपनी कमाई का कोई 45-60 प्रतिशत हिस्सा देना पड़ता है। जब नागरिक धन देकर सुविधाएं प्राप्त करता है तो सरकार में बैठे लोग उसी नागरिक पर उपकार करने की बातें क्यों करते हैं? शासक लोग तो जनधन के बल पर ही विलासिता का जीवन जीते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, अफगानिस्तान, कांगो जैसे अमीर और दरिद्र दोनों ही देशों के राजभवनों की तस्वीरों पर नजर डालने से स्पष्ट नजर आता है पुराने सम्राट तो इनके सामने कुछ भी सुविधाभोगी नहीं थे। क्या ये धन राजनेता अपनी मेहनत से अर्जित करते हैं? कोई भी देश अपने नागरिकों से दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करके अनंत समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। इस तथ्य को कोई राष्ट्र अपने विध्वंस की पहली ईंट रख कर ही भुला सकता है।

–डॉ. रामावतार शर्मा,
(चिकित्सक एवं लेखक)

कमजोर पैरवी के चलते जालोर नहीं जुड़ पाया सीधी ट्रेन सेवा से

जालोर, (कासं)। समदड़ी-भीलड़ी रेलखंड पर ब्रॉडगेज बने करीब नौ साल होने जा रहे हैं। वर्तमान जालोर सांसद पिछले तेरह साल से लगातार सांसद होने के बाद भी जालोर जिले के रैलयात्रियों के लिए जयपुर, दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा शुरू नहीं करवा सके हैं। पिछले कई सालों से जोधपुर-गांधीधाम सुपर फास्ट गाड़ी का विस्तार जयपुर करने की मांग को लेकर रेलवे उच्च अधिकारियों सहित रेलमंत्री को विभिन्न संगठनों ने मांग उठाई है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सांसद देवजी पटेल इस विषय पर पिछले आठ साल से चुपी साधे हुए है।

समदड़ी-भीलड़ी रेलखंड पर दिल्ली व जयपुर से जालोर नहीं जुड़ पाने से लोगों में मायूसी है।

ट्रेन संख्या 22421/22 सालासर एक्सप्रेस का विस्तार गांधी धाम तक संचालित है। जालोर जिले के लोगो की भारी मांग को देखते हुए अगर इस ट्रेन का विस्तार मारवाड़ भीनमाल या रानीवाड़ा तक किया जाए तो लाखों लोगों को सुविधा मिलेंगी। वर्तमान में इस ट्रेन को जोधपुर यार्ड में जगह नहीं होने से जोधपुर के आगे अजित स्टेशन पर 14 घंटे तक खड़ा रखा जा रहा है। रानीवाड़ा से शाम 4.00 बजे से सुबह के तीन बजे तक भीनमाल, जालोर, मोदरान, समदड़ी, जोधपुर तक 11 घंटे के बीच एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं होने से छोटे स्टेशनों के यात्रियों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है।

श्री आशापुरी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हरी सिंह ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी जालोर का जयपुर व दिल्ली से रेलसेवा से सीधा जुडाव नहीं होना दुर्भाग्यपुर्ण है। जिले के जनप्रतिनिधियों की कमजोर पैरवी का नतीजा है।

क्षेत्रिय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति सदस्य रविन्द्र सिंह बालावत ने कहा कि जालोर को सीधी रेल सेवा दिल्ली व जयपुर से जोड़ने के लिए मैं प्रयासरत हूं। कई बार रेलवे बोर्ड की बैठकों में मुद्दा उठाया है। शीघ्र ही सौगात मिल सकती है।

■ **पिछले कई सालों से जोधपुर-गांधीधाम सुपर फास्ट गाड़ी का विस्तार जयपुर करने की मांग को लेकर रेलवे उच्च अधिकारियों सहित रेलमंत्री को विभिन्न संगठनों ने मांग उठाई है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई**

पश्चिमी रेलवे परिषद के गोपाल जोशी ने बताया कि जालोर से जयपुर के लिए रेल सेवा के लिए जोधपुर-गांधीधाम का विस्तार करने की मांग को लेकर रेलमंत्री सहित स्थानीय सांसद को कई बार अवगत करवाया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

सर्दी में भी बूंद-बूंद पानी को तरस रहा है ख्याली गांव

मलसीसर, (कासं)। निकटवर्ती गांव ख्याली में सर्दी के मौसम में भी लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। ख्याली को पानी के लिए चूरू और झुंझुनूं जिले के सीमावर्ती गांव होने का खामियाजाना भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि घर-घर पानी योजना से दोनों जिलों ने ख्याली को वंचित कर दिया है।

■ **मण्डावा विधायक रीटा चौधरी ने की थी मलसीसर डैम से जोड़ने की घोषणा**

■ **मण्डावा विधायक रीटा चौधरी की घोषणा थोथी निकली**

मंडावा विधायक रीटा चौधरी की चुनावी घोषणा के बाद भी आज तक ख्याली गांव को मलसीसर डैम से नहीं जुड़ा गया है। वहीं दूसरी ओर आसपास के सभी गांव में घर-घर पानी की व्यवस्था कर दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ख्याली में चूरू जिले के सिरसला टंकी से पानी आता है। पानी बहुत ही कम मात्रा में गांव के अंदर पहुंच पाता है। यह मात्र 20 से 25 घरों तक ही आता है। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र सिंह ने बताया कि इस संबंध में गत महीने मंडावा विधायक रीटा चौधरी से झुंझुनूं के विद्यार्थी भवन में मुलाकात कर उनकी चुनावी घोषणा याद दिलाई थी। इस पर विधायक चौधरी ने कहा कि 15 दिसंबर तक पानी पहुंच जाएगा। लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गए। पानी पहुंचना तो दूर पाईप लाईन भी नहीं डाली गई है। मण्डावा विधायक रीटा चौधरी की घोषणा थोथी ही साबित हुई है।

स्थानीय निवासी रूप सिंह ने बताया कि पानी के टैंकर गिराने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोनों जिलों के अधिकारी भी एक-दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं।

आपणी योजना चूरू के एईएन दीक्षा कटारिया ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सप्लाई अनियमित थी। आगे सप्लाई ठीक कर दी जाएगी। कटारिया ने कहा कि मलसीसर डैम से जोड़ने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

स्थानीय निवासी इंद्र सिंह शेखावत, दलीप सिंह, दीपेंद्र सिंह, सद्दाम अली, गुलाब सिंह, मनोहर सिंह आदि ने कहा कि समस्या को दुरुस्त नहीं किया गया तो कार्यालय का घेराव करेंगे।

मामूली बूंदाबांदी ने ठिठुरन बढ़ाई

श्रीगंगानगर, (निसं)। मामूली बूंदाबांदी ने गुरुवार सुबह ठिठुरन बढ़ा दी। हालांकि इस दौरान बादलों के चलते न्यूनतम तापमान कुछ बढ़ा लेकिन ठिठुरन में कोई कमी नहीं आई। ठिठुरन के चलते सुबह लोग ऊनी कपड़ों में लिपटे सड़कों पर नजर आए।

■ **अगले चौबीस घंटे में बढ़ सकती है सर्दी**

■ **दो दिन बाद आएगा कोहरा**

मौसम एक्सपर्ट यह तो मानते हैं कि अगले एक दो दिन में सर्दी बढ़ेगी।

एक्सपर्ट बताते हैं कि इलाके से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हुआ है। यह इतना मजबूत नहीं है लेकिन मौसम पर असर तो दिखा रहा है। इसी के चलते अलसुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। हालांकि इस दौरान इसे ट्रेस नहीं कया जा सका। अगले एक दो दिन इसका असर बादल और फिर कोहरे के रूप में सामने आ सकता है। पिछले तीन दिन के तापमान पर नजर डाले तो यह चार से छह डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। 26 दिसम्बर को न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बादलों के चलते 27 दिसम्बर को यह 4.8 डिग्री सेल्सियस और 28 दिसम्बर को यह थोड़ा और बढ़कर 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

शहरी मनरेगा में मैट लगा रहे सरकारी कोष को चपत

मालपुरा, (निसं)। राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को 100 दिन का रोजगार देने के उद्देश्य को लेकर शुरू की गई शहरी रोजगार गारन्टी योजना में मालपुरा शहर में जारी मस्टरोल में मेट बने श्रमिक सरकारी कोष को चपत लगाने नहीं चूक रहे है।

मामले के अनुसार राज्य सरकार के आदेशों की पालना में नगरपालिका प्रशासन द्वारा शहर में शहरी रोजगार गारन्टी योजना शुरू कर तकरीबन 300 से अधिक श्रमिकों की मस्टरोल जारी की। श्रमिकों की मॉनिटरिंग के लिए मेट नियुक्त किये गये। मेट के पद पर नियुक्त श्रमिकों द्वारा बीते दो महिनों से महज जंगल कटाई के नाम पर मस्टरोल भरी जा रही है जबकि उक्त योजना में दो दर्जन से अधिक काम शामिल हैं। मेट द्वारा श्रमिकों से जो बिलायती बम्बूल कटवाये जा रहे हैं। इस ईंधन को पालिका प्रशासन द्वारा निलामी के जरिए बेचने की जानकारी दी जाती है।

लेकिन श्रमिकों से ही मिली जानकारी में सामने आया कि मस्टरोल में मेट बने श्रमिक अधिकारियों को बिना बताये ही काटे गये बिलायती बम्बूल के ईंधन को चोरी-छुपे अपने घर पहुंचा रहे हैं। पालिका ईओ देशराज मीणा से जानकारी चाहने पर उन्होंने बताया कि काटे गये बबूल एकत्रित कर निलाम किये जायेंगे। यदि मेट ईंधन को अपने घर ले जा रहे हैं तो जांच कर पाबंद किया जायेगा।

■ **काटे जा रहे बिलायती बबूल की लकड़ियों को पहुंचा रहे अपने घर**

■ **दो महिनों से महज जंगल कटाई के नाम पर मस्टरोल भरी जा रही है**

■ **मेटों के साथ मॉनिटरिंग में लगे तकनिकी अधिकारी भी ईंधन के गबन में शामिल**

श्रमिकों का कहना है कि अब तक घाटी रोड, घाणा के बालाजी, कृषि उपज मंडी परिसर, विद्युत विभाग परिसर, झालरा तालाब की पाल, जयपुर रोड सहित अन्य स्थानों से तकरीबन 25 से 30 ट्रॉली बिलायती बबूल उठा लिये गये हैं। जिनकी अधिकारियों को भनक तक नहीं है। मेटो के साथ मॉनिटरिंग में लगे तकनिकी अधिकारी भी ईंधन गबन में शामिल हैं।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 30 दिसम्बर, 2022

पौष मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र दिन 11:24 तक, वारियान योग प्रातः 9:45 तक, कौलव करण सांय 6:34 तक, चन्द्रमा मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-धनु, चन्द्रमा-मीन, मंगल-वृष, बुध-मकर, गुरू-मीन, शुक्र-मकर, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृ सिद्धि योग दिन 11:24 से सूर्योदय तक है। बुध वक्री धनु में रात्रि 10:56 पर प्रवेश करेगा। आज दुर्गाष्टमी, पंचक है। आज से शाकम्बरी देवी नवरात्रा आरम्भ होंगे।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 8:37 तक, लाभ-अमृत 8:37 से 11:12 तक, शुभ 12:29 से 1:46 तक, चर 4:21 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:19, सूर्यास्त 5:39

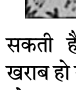

मेष

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

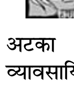

वृष

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

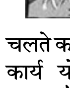

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।

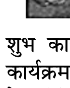

कर्क

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

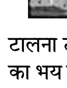

सिंह

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

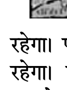

कन्या

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

धनु

घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

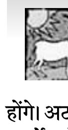

मकर

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। नवीन कार्यों उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी।

मीन

मनःस्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव दूर होगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।